न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 126/2011

1 धन्ना पुत्र जग्गू।
2 हीरा पुत्र लग्गू समस्त जाति गुर्जर निवासीगण धोकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील सीकर सत्यमेव जयते

1 गणपत पुत्र खुमाणा मृतक।
1/1 सुरजाराम पुत्र गणपत।
1/2 प्रभुराम पुत्र गणपत।
1/3 रामचन्द्र पुत्र गणपत।
2 श्रीमती तीजु बेवा हनुमान मृतक।
3 माला पुत्र जग्गु मृतक।
4 श्रीमती भूरी बेवा जग्गु मृतक।
5 श्रीमती अणची पुत्री जग्गु।
6 श्रीमती मूली पुत्री जग्गु।
7 श्रमती मनकोरी पुत्री जग्गु।
8 श्रीमती चुनी पुत्री जग्गु।
9 श्रीमती हीरा उर्फ हीरी पुत्री जग्गु।
10 श्रीमती नानची धर्म पत्नी माला।
11 छीतर पुत्र माला मृतक।
11/1 श्रीमती सिणगारी पत्नी छीतर।
12 श्योकरण पुत्र माला।
13 रामकरण पुत्र माला।
14 श्रीमती प्रभाती धर्मपत्नी धन्ना।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 मूला पुत्र धन्ना।
16 राजू पुत्र धन्ना।
17 पाडू पुत्र धन्ना।
18 कालू पुत्र हीरा।
19 श्रीमती रूड़ी पुत्री गणपत।
20 श्रीमती धोली पुत्री गणपत समस्त जाति गुर्जर निवासीगण धोकर तहसील व जिला सीकर।
21 राजस्थान राज्य लैण्ड होल्डर तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.11
मुकदमा नम्बर 49/2007 उनवानी गणपत बनाम
भूरी देवी आदि

उपस्थिति :

1. श्री जसवन्त सिंह भूरियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–21-1-14

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 49/2007 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 321,322,323,324,348,349 वाके ग्राम धोकल पटवार हल्का श्यामगढ़ पिपराली जिला सीकर के सन्दर्भ में घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान की तलबी हेतु चल रही थी। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.05.2011 से इसकी पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के साथ काउन्टर क्लेम भी लम्बित था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में काउन्टर क्लेम का कोई उल्लेख ही नही किया है। दौराने विचारण पक्षकार तीजु की मृत्यु हो चुकी थी। विचारण न्यायालय ने मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना में तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खुमाणा के तीन पुत्र हणमान,जग्गु, गणपत थे। खुमाणा की मृत्यु से पूर्व हणमान की मृत्यु हो चुकी थी। खुमाणा की मृत्यु पर विरासत का नामान्तकरण केवल गणपत व जग्गु के नाम दर्ज हुआ। हणमान की विधवा तीजु देवी के नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया गया। 1993 में तीजु देवी द्वारा उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की सहमती से विचारण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित किया गया था। अपीलांट की सहमती का आदेशिका में उल्लेख है। ऐसी स्थिति में तनकी व साक्ष्य की आवश्यकता नही थी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय में मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही की गई है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में गुणावगुण पर कोई कमी होने के सन्दर्भ में अपीलांट का कोई कथन नही है। अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम की अपील प्रस्तुत नही की गई है। गुणावगुण पर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान की तलबी हेतु चल रही थी। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.05.2011 से इसकी पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के साथ काउन्टर क्लेम भी लम्बित था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में काउन्टर क्लेम का कोई उल्लेख ही नही किया है। दौराने विचारण पक्षकार तीजु की मृत्यु हो चुकी थी। विचारण न्यायालय ने मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना में तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2022 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 2/10/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर